तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/8/24	पत्रावली पेश। हमने वकील पक्षकारान द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया व लिखित बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अंकित विवादित भूमि खाता संख्या 344 के खसरा संख्या 6755/2015 व खाता संख्या 339 के खसरा संख्या 2016 वाके ग्राम हिण्डोली पटवार मण्डल हिण्डोली जो कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में अंकित है। जिस पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद होना प्रमाणित आया है। अप्रार्थीगण को उक्त खसरा संख्या की पत्थरगढी किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। वादग्रस्त आराजीयात् प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है, जिसकी पत्थरगढी किए जाने से अप्रार्थीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडेगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण भूमि खाता संख्या 344 के खसरा संख्या 6755/2015 व खाता संख्या 339 के खसरा संख्या 2016 वाके ग्राम हिण्डोली पटवार मण्डल हिण्डोली की पत्थरगढी करवाये जाने बाबत स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी विवादित भूमि खाता संख्या 344 के खसरा संख्या 6755/2015 व खाता संख्या 339 के खसरा संख्या 2016 वाके ग्राम हिण्डोली पटवार मण्डल हिण्डोली की पूर्वी मेड की ओर जो कि अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2015 के लगवा स्थित है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की उपस्थिति में उक्त आराजीयात् की पत्थरगढी किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार, हिण्डोली नियमानुसार राजकीय राशि राजकोष में प्रार्थीगण से जमा करवाकर दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमियों की पत्थरगढी करवाया जाना सुनिश्चित करे। पालना हेतु बाद अपील अवधि पत्र जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	